कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष 0755–2674248, 2674318 फैक्स 0755–2766315 **E-mail—pccfwl@mp.gov.in**

क्रमांक / संरक्षण / 2022 / 3563

भोपाल, दिनांक 17/05/22

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
भोपाल / शिवपुरी
मध्यप्रदेश।

विषय :– वन्यप्राणियों के शिकार पर अंकुश लगाने के संबध में।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि दिनांक 14.05.2022 को गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत वन्यप्राणी काला हिरण व मोर के शिकार की सूचना के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पहुंचे पुलिस दल पर शिकारियों द्वारा भारी मात्रा में गोली चालन किया गया, जिससे 03 पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। उक्त घटना के संबंध में गुना पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

इस कार्यालय को ज्ञात जानकारी अनुसार लिप्त शिकारियों के विरूद्ध पूर्व में भी शिकार के प्रकरण दर्ज थे तथा वह लगातार शिकार कर रहे थे। उक्त प्रकरण में भी अनुसूची–I के वन्यप्राणी काला हिरण 05 नग व मोर 01 नग का शिकार किया जाना पाया गया। विभागीय वेब पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके कार्यक्षेत्र में वन्यप्राणियों के मुख्यतः बन्दुक के माध्यम से शिकार की घटना लगातार प्रकाश में आती रही है व कुछ प्रकरणों में शिकारियों द्वारा वनकर्मियों पर भी हमले हुये है। जो कि अत्यंत चिंतनीय है। इस तरह की घटना की प्रभावी रोकथाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे –

1. मुखबिर तंत्र विकसित किया जावे ताकि शिकारियों के संबंध में सटिक जानकारी प्राप्त हो सके।
2. गोपनीय राशि का समुचित उपयोग किया जावे।
3. संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि गश्ती की व्यवस्था स्थापित की जावे (अन्य वनमंडल के अमले को संलग्न करे)।
4. प्रत्येक जिला / वनमंडल में एक कंटोल रूम (24X7) स्थापित कर कार्यशील रखा जावे व उसका नम्बर समाचार पत्रों, पुलिस कंटोल रूम, स्थानीय ग्रामवासियों को अवगत कराया जावे।
5. जिले की टाइगर सेल को एक्टिव कर पुलिस व जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आदतन आरोपियों पर निगरानी, फरार आरोपियों की धरपकड व वन माफियाओं के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जावे।
6. लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा कर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भेट कर गंभीर प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु प्रयास किये जावे।
7. लोक अभियोजन अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रकरणों का शासनहित में निराकरण करने की योजना बनावे, कार्यशाला आयोजित कर अधिनस्थ अमले की क्षमता उन्नयन किया जावे।
8. प्रत्येक शासकीय सेवक का मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

17.05.2022

(जसबीर सिंह चौहान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र.

पृ. क्र./संरक्षण/2022/3564 भोपाल, दिनांक 17/05/22

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त (भोपाल एवं शिवपुरी को छोड़कर) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र.